अपील सूचना अधिकार संख्या 108/2019 (RCMS 2019/00276) अनवान् धर्मेन्द्र खीचड़, गांव कालवासिया, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान–335064 (मोबाईल नं. 9460860086) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

12.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री धर्मेन्द्र खीचड़ स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2020 की प्रति शामिल की जाये। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 5(पांच) बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से चालीस हजार रूपये दिलवाने एवं निःशुल्क सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी धर्मेन्द्र खीचड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष दिनांक 04.11.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचनाएं चाही थी :

1. रिटर्निंग अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जारी पत्र क्रमांक वि.अ. चुनाव/2018 मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्ति में पुलिस जांच कर रिपोर्ट करने बाबत, पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
2. रिटर्निंग अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जारी पत्र क्रमांक वि.आ. चुनाव/2018 मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्ति में पुलिस थाना सादुलशहर से प्राप्त समस्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
3. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक गंगा/जि.वि.शा/2018/10689 दिनांक 09.12.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. वर्ष 2018 के राजस्थान विधानसभा से पूर्व श्रीमन! जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जारी किये गये आदेश थे कि जिन व्यक्तियों पर किसी भी थाने के मुकदमा दर्ज है या किसी भी न्यायालय में मुकदमा या न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसा व्यक्ति विधानसभा चुनाव 2018 के मतदान या गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त नही किया जावेग, के समस्त पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
5. विधानसभा चुनाव 2018 के समस्त गणन अभिकर्त्ताओं की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्रांक 01 दिनांक 03.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

क्र.सं.	आवेदन पत्र का बिन्दु	विभागीय सूचना
1	रिटर्निंग अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जारी पत्र क्रमांक वि.अ. चुनाव/2018 मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्ति में पुलिस जांच कर रिपोर्ट करने बाबत, पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।	मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्ति में पुलिस जांच हेतु भिजवाये गये पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
2	रिटर्निंग अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जारी पत्र क्रमांक वि.आ. चुनाव/2018 मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्ति में पुलिस थाना सादुलशहर से प्राप्त समस्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।	मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्ति में पुलिस थाना, सादुलशहर से ईमेल द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।
3	पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक गंगा/जि.वि.शा/ 2018/ 10689 दिनांक 09.12.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।	आपके द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
4	वर्ष 2018 के राजस्थान विधानसभा से पूर्व श्रीमन! जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से जारी किये गये आदेश थे कि जिन व्यक्तियों पर किसी भी थाने के मुकदमा दर्ज है या किसी भी न्यायालय में मुकदमा या न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसा व्यक्ति विधानसभा चुनाव 2018	आपके द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

	के मतदान या गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त नही किया जावेग, के समस्त पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।	
5	विधानसभा चुनाव 2018 के समस्त गणन अभिकर्त्ताओं की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।	मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्ति की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

अप्रार्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने अपने उक्त पत्रांक 01 दिनांक 03.02.2020 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं के सम्बन्ध में जवाब दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर